☎ (07432) 233089-233090, 233010, 233012 FAX-233091
E-mail: ccb.jhalawar@gmail.com

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,

प्रधान कार्यालय,''सहकार भवन,झालावाड़'' एन.एच–12,झालरापाटन–326023

पत्र क्रमांक - 5116

खुली बोली आमंत्रण सूचना (2020–2021)

11 MAR 2020

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए इस कार्यालय में बैंक कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर/सहायक कर्मचारी पद पर 30 प्रशिक्षित कार्मिक अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक से निम्नानुसार खुली आमंत्रित की जाती है:–

क सं.	विवरण	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि	बोली खोलने की तिथि व समय
1	30 प्रशिक्षित कार्मिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर/सहायक कर्मचारी)	5000/	500/–	23.03.2020 समय दोपहर 2:00 बजे तक	23.03.2020 समय दोपहर 4:00 बजे तक

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं खुली बोली दस्तावेज बैंक की वेबसाईड www.ccbjhalawar.com पर देखा जा सकता है। अथवा प्रधान कार्यालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. संपादक, राजस्थान पत्रिका, झालावाड़ को भेजकर लेख है कि उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना .... स्पेस में आपके समाचार पत्र के झालावाड़ सस्करण में दिनांक 13.03.2020 को प्रकाशित करे।
2. कय समिति सदस्य...................................
3. प्रबन्धक प्रशासन एवं कार्मिक को भेजकर लेख है कि उक्त आमंत्रण बैक के नोटिस बोर्ड एवं बैंक की बेबसाइड पर प्रकाशित करे।

प्रबन्ध निदेशक

E/Firoz-Docs/Firoz/a&p/R.K. Lahoty Ltr. 2018-19

(07432) 23089-233090, 233010, 233012 FAX-233091
E-mail: ccb.jhalawar@gmail.com

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,

प्रधान कार्यालय,''सहकार भवन,झालावाड़'' एन.एच–12,**झालरापाटन**–326023

क्रमांक–जेकेएसबी/फा.( )प्र.एवं का./2019–20/ दिनांक

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम :–.....
2. डाक का पता :–.....
3. फोन/मोबाईल नं. :–.....
4. ई–मेल :–.....
5. बैंक का नाम :–.....
   आई.एफ.एस.सी कोड़ :–.....
   खाता संख्या :–.....
6. बोली पपत्र शुल्क राशि का डी.डी क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
   (डी. डी. :– **झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 झालरापाटन** के नाम से देना होगा)
7. बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
   (डी. डी. :– **झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 झालरापाटन** के नाम से देना होगा)
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में पस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:–

क्रं सं	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत				

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारीबैंक लि0,

प्रधानकार्यालय, "सहकारभवन, झालावाड" एन.एच–12, झालरापाटन–326023

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, पपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. न्यूनतम मजूदरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं राज्य बीम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु आर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजूदरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजूदरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित/बोलीदाता को होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजूदरी दर से श्रम विभाग की अधिसूचना के समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस. आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटोती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
8. स्वेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **Display Boards** के लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु **Helpline** नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजूदरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त दस्तावेज श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता हो होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों का जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने का प्रमाण स्परूप चालान की प्रति पस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एव सेवा कर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उतरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. श्रम विधि में अन्तर्गत निर्धारित नियमो उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होगा।
12. यदि बोली दाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रामिको के माध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रंबधकिय जिम्मेदारी सवेदक /बोली दाता की होगी । इसके लिए झालावड़ केन्दीय सहकारी बैंक लि., झालरापाटन न्युतम मजदुरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 का उचित प्रकार से निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औघोगिक विवाद अधिनियम 1974 विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन,छटनी, मुआवजा अदि का समस्त उत्तरदयित्व सवेदक/बोलीदाता का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दोरान कार्य के संबंध मे/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने /सामुहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व सवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. यदि सवेदक /बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्युतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिर्वाय रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में सवेदक /बोलीदाता को **deber** कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है,तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्युनतम मजदुरी में सम्मिलित नही करते हुऐ, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान सवेदक को दिया जायेगा । उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दयित्व संबधित सवेदक /बोलीदाता होगा।

17. खुली बोली में सफल बोलीदाता/संवेदको सें ,दर संविदाओ के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या मे प्रशिक्षित कार्मिको उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

18. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी ।

19. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन प्रशिरक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटको की बजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

20. बोली की विधि मन्यता बोली मान्यता बोली खुलने की तिथी से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी ।

21. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे पर नही देगा।

22. जिस बोलीदाता की बोली स्वाकार की जाऐगी वह 04 दिवस में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

23. मूल्यांकन की कसौटी– खुली बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड़ का मूल्यांकन किया जायेगा।

24. बोलियो को अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

25. बोली प्रतिभूति राशि प्रबन्ध निदेशक, झालावाड़ केन्द्रीय सहकरी बैंक लि. झालरापाटन के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रकिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदातओं को लोटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति में समपहरण (**Forfeiture of Bid Security)** बोली प्रतिभूति की निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगसः–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग नही करता है।

26. करार एवं सम्पादन प्रतिभूति (**Agreement and Performance Security**):–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रबन्ध निदेशक, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि, झालरापाटन के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाले पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (**Forfeiture of Work Performance Security Deposit**) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप में निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहा हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

28. भुगतानः–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोली दाता जिम्मेदार होगा।

29. परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैं।

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये –2.50 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए –5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए के लिए – 10.00 प्रतिशत

(ड) विलम्ब की अवधि में आधा दिन के कम भाग को छोड दिया जायेगां

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के गठित होने परतुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने के निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने मे उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियत्रण से परे प्ररेकारणो से हुई होतो सुपुर्दगी की अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षतिसहित या रहित की जायेगी।

30. सभी निविदायें कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय एवं दिनांक प्राप्त निविदा पर नही किया जावेगा।

31. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकताहै।

प्रबन्ध निदेशक